3 वित्तीय रिपोर्टिंग

3 वित्तीय रिपोर्टिंग

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचनाओं के साथ एक मजबूत आंतरिक प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दक्ष प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ इनकी अनुपालन स्थिति पर समयबद्ध एवं गुणात्मक प्रतिवेदन, इस प्रकार अच्छे प्रशासन की विशिष्टियों में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं परिचालन में है, तो यह राज्य सरकार को अपनी आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्वों, नीतिगत योजनाओं एवं निर्णय–प्रबंधन शामिल है, के निर्वहन में सहायता करता है। यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों के अनुपालन की स्थिति, प्रक्रिया एवं निर्देश का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपभोग प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत न किया जाना

3.1.1 राज्य सरकार के नियमों में वर्णित है कि, जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सत्यापन के पश्चात महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिये। उपभोग प्रमाण–पत्रों का अप्रस्तुतीकरण, जारी किये गये सहायता अनुदानों को उनके विशिष्ट उद्देश्यों पर उपभोग हो चुका है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित किया जाना दुष्कर होता है। 31 मार्च 2014 तक अप्राप्त उपभोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति **सारणी 3.1** में दी गई है।

सारणी 3.1: अप्राप्त उपभोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति

अवधि	अप्राप्त उपभोग प्रमाण–पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2011–12 की अवधि तक	3,76,875	80,438.16
2012–13	33,401	12,219.03
2013–14	26,538	18,691.62
योग	**4,36,814**	**1,11,348.81**[1]

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

सारणी से स्पष्ट है कि अधिक संख्या में उपभोग प्रमाण–पत्र जिसमें महत्वपूर्ण राशि भी थी, वर्ष 2013–14 के अंत में अवशेष के रूप में पड़े हुए थे।

अनुग्राही को उपलब्ध कराए गए अनुदान की समीक्षा कराये जाने की आवश्यकता है जिससे उपभोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति हेतु प्रयास नहीं करने वाले विभागों की पहचान की जा सके।

3.2 विस्तृत आकस्मिक बिल

आहरण एवं संवितरण अधिकारी[2] सेवा शीर्ष को डेबिट करते हुए सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से धनराशियाँ आहरित किये जाने हेतु प्राधिकृत है। आहरण एवं वितरण

[1] इसमें वेतन वितरण हेतु सरकार द्वारा दिये गये ₹ 1,46,060.73 करोड (10,42,241 मदें) के अनुदान सम्मिलित नहीं है।
[2] शासनादेश संख्या–ए-1-सी (1) दस-10820/2001 दिनांक 24 जनवरी–2006।

अधिकारियों द्वारा आहरित ए0सी0 बिल के सापेक्ष समर्थित अभिलेखों सहित विस्तृत आकस्मिक बिल महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिये। सार आकस्मिक देयकों के सापेक्ष लम्बे समय तक विस्तृत आकस्मिक देयकों का अप्रस्तुतीकरण सार आकस्मिक देयकों के अंतर्गत व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

31 मार्च 2014 तक, ₹ 115.96 करोड़ के 7,032 सार आकस्मिक देयक, विस्तृत आकस्मिक देयकों के अभाव में असमायोजित थे। वर्षवार विवरण **सारणी 3.2** में दी गई है।

सारणी 3.2: असमायोजित सार आकस्मिक बिल

वर्ष	आहरित ए0सी0 बिल		वर्ष 2013–14 में प्राप्त विस्तृत आकस्मिक बिल		31 मार्च 2014 को अवशेष सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2011-12 तक	33,329	674.69	26,613	596.33	6,716	78.36
2012-13	735	33.03	649	28.24	86	4.79
2013-14	499	38.56	269	5.75	230	32.81
योग	**34,563**	**746.28**	**27,531**	**630.32**	**7,032**	**115.96**

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

वर्ष 2013–14 में, आहरित ₹ 38.56 करोड़ के 499 ए0सी0 बिलों के सापेक्ष 94 सार आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 13.86 करोड़ थी, मार्च 2014 में आहरित किये गये, जिनमें से 23 सार आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 5.52 करोड़ थी, दिनाँक 26 और 30 मार्च 2014 के मध्य आहरित किए गए। मार्च माह में तथा विशेष रूप से मार्च माह के अंतिम सप्ताह में सार आकस्मिक बिल के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यय करना प्रथमतः बजट का उपभोग करना और अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है।

3.3 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय लेन–देन एवं व्यवसाय में दक्षता दर्शाते हुए प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा लेखा बनाया जाता है। इन लेखों को लेखापरीक्षा हेतु लेखा–बन्दी माह के तीन माह के अन्दर महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य में मार्च 2014 तक इस प्रकार के नौ उपक्रम थे। इनमें से तीन उपक्रमों ने अद्यतन प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किये थे। ऐसे विभागवार उपक्रम, जिनके प्रोफॉर्मा लेखे शेष थे, का विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है। स्टेट फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन (बिना किसी सरकारी निवेश के) द्वारा अद्यतन उपलब्ध लेखों के आधार पर (वर्ष 2013–14 तक) अपने लेखे वर्ष 1990–91 से तैयार नहीं किये गये थे। इसी तरह, खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य पशुधन सह कृषि फार्म जिसमें सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 6,230.69 करोड़ एवं ₹ 24.85 करोड़ का निवेश किया गया था, के वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक के लेखे तैयार नहीं किये गये थे।

फलस्वरूप, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम में शासन द्वारा निवेशित धनराशि की लेखापरीक्षा/राज्य विधायिका से की जाने वाली जांच से परे थी।

3.4 लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग

वित्तीय नियमों के प्रस्तर 82 के अनुसार, हानि एवं गबन के प्रकरणों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी.एण्ड एस.एस.ए.), उ0प्र0, इलाहाबाद को, उन प्रकरणों सहित जिसमें उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो, अविलम्ब प्रेषित किये जाने चाहिए।

वर्ष 2013–14 की अवधि तक, इस प्रकार के 142 प्रकरण लम्बित थे जिनमें ₹ 8.91 करोड़ की धनराशि निहित थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों एवं उनका अवधिवार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है। ऐसे प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण भी ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये अवधिवार लम्बित प्रकरणों को **सारणी 3.3** में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.3: लम्बित प्रकरणों की स्थिति

अवधिवार लम्बित प्रकरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ लाख में)
0-5	22	358.15	चोरी	65	42.90
5-10	22	59.07			
10-15	07	19.43	दुर्विनियोग	10	64.89
15-20	43	66.81			
20-25	19	31.73	हानियां	24	171.74
25 और इससे अधिक	29	356.04	गबन	43	611.70
योग	**142**	**891.23**	**कुल**	**142**	**891.23**

(स्रोतः सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि ₹ 8.94 करोड़, के 143 प्रकरणों (31 मार्च 2013 तक) में से ₹ 2.61 लाख का एक प्रकरण[3] निस्तारित/बट्टे खाते में डाल दिया गया था (वर्ष 2013–14), एवं अवशेष 142 प्रकरण जिसमें ₹ 8.91 करोड़ की धनराशि निहित थी, मार्च 2014 तक **सारणी 3.4** में दिये गये विभिन्न कारणों से लम्बित पड़े थे।

सारणी 3.4: लम्बित प्रकरणों के कारण

	विलम्ब/बकाया प्रकरणों का कारण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
i	विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित है	27	189.67
ii	विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	76	547.79
iii	आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली की प्रक्रिया के प्रकरण लम्बित हैं	2	4.58
iv	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित हैं	12	7.99
v	माननीय न्यायालयों में लम्बित	25	141.20
	योग	**142**	**891.23**

(स्रोतः सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

[3]

विभाग का नाम	प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
राजस्व	उत्तर प्रदेश सरकार	लेखपाल द्वारा गबन, तहसील रसूलाबाद, कानपुर देहात	एक	2.61

चोरी, दुर्विनियोग, गबन, हानियों आदि के समस्त प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जानी चाहिए।

3.5 लघु लेखा शीर्ष–'800' का परिचालन

लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय का लेखों में केवल तभी परिचालन किया जाना उचित है जब तक समुचित लघु शीर्षों की लेखे में उपलब्धता न हो। वर्ष 2013–14 के दौरान, व्यय संबंधी विभिन्न मुख्य शीर्षों (राजस्व एवं पूंजीगत) के अंतर्गत ₹ 23,446.22 करोड़ के व्यय हुए जो राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के समस्त व्यय, ₹ 1,91,009.52 करोड़, के लगभग 12.27 *प्रतिशत* था, सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत दर्शाया गया था। इसी प्रकार, ₹ 23,345.53 करोड़ राजस्व के विभिन्न मुख्य शीर्षों के प्राप्ति पक्ष, कुल राजस्व प्राप्तियों, ₹ 1,68,213.75 करोड़ का लगभग 13.88 *प्रतिशत*, सम्बन्धित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत अंकित किया गया। ऐसे उदाहरण जहाँ लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत धनराशि जिनका अनुपात सम्बन्धित शीर्षों के सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष अत्यधिक है (मुख्य शीर्षों के अधीन प्राप्तियों/व्यय के 50 प्रतिशत या अधिक) का विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** एवं ***3.5*** में दिया गया है एवं **सारणी 3.5** में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.5: लघु लेखा शीर्ष–800 के अंतर्गत 'अन्य प्राप्तियाँ' एवं 'अन्य व्यय' का दर्शाया जाना

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाशीर्ष	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाशीर्ष
100 *प्रतिशत*	1,206.58	0801, 0217, 0023, 1456, 0810, 0415, 0575, 0852, 0875, 0215, 0047	6,484.52	2801, 2040, 2245, 5053, 2705, 2407, 4047, 2885, 2041, 4853
75 *प्रतिशत* एवं 99 *प्रतिशत* के मध्य	5,145.90	0235,1452, 0075, 0700, 0406, 0056, 0211, 0071, 0029, 1054, 0230, 0059, 1055	1,533.30	4070,2425, 4575
50 *प्रतिशत* एवं 74 *प्रतिशत* के मध्य	12,622.40	0403, 0851, 0055, 0515, 1601, 0220	2,440.54	4235, 2700, 4401, 2501, 2405, 2230, 3454
योग	**18,974.88**		**10,458.36**	

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

परिणामस्वरूप, शासन के विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के अंतर्गत किये गये व्यय जो कि लघु शीर्ष '800 अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे, वित्त लेखे 2013–14 में अलग से दर्शाये नहीं जा सके।

लघु शीर्ष–800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

3.6 धनराशियों को केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरण न किया जाना

वर्ष 2013–14 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से ₹ 182.72 करोड़ निर्गत किया गया। निधि के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों

के अनुसार, केन्द्रीय अनुदान को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मुख्य लेखाशीर्ष '1601– केन्द्रीय सरकार से सहायता' में लेखाबद्ध कर समतुल्य धनराशि लोक लेखे के मुख्य शीर्ष '8449–अन्य जमा–103–केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान' में स्थानान्तरित कर राजस्व व्यय शीर्ष '3054–सड़क तथा सेतु' के नामें डाली जानी चाहिये। किन्तु मुख्य शीर्ष–3054 के अंतर्गत कोई भी बजट प्रावधान न किये जाने के कारण लोक लेखे में कोई धनराशि स्थानान्तरित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, राजस्व आधिक्य में ₹ 182.72 करोड़ की अधिकता दर्शाई गई।

3.7 नकद अवशेषों में भिन्नता

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आगणित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये राज्य सरकार के रोकड़ शेष में ₹ 76.50 करोड़ (निवल नामे) में विसंगति का मुख्य कारण एजेन्सी बैंकों द्वारा आकड़ों का मिलान न किया जाना है, तथा इनका मिलान किया जा रहा है।

3.8 वैयक्तिक जमा लेखाओं में धनराशियों का अन्तरण

राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिये व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है। नामांकित प्रशासकों को इन व्यक्तिगत निक्षेप खातों में निधियां, जो राज्य के समेकित निधि (सेवा मुख्य शीर्षों) के सापेक्ष व्यय के रूप में अंकित किया जाता है, को स्थानान्तरित कर परिचालन हेतु अधिकृत किया जाता है। यद्यपि, इन व्यक्तिगत निक्षेप खातों को आगामी वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिथि को बन्द किये जाने एवं शेष धनराशि की सरकारी लेखे में वापसी आवश्यक है। तथापि, राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। विवरण **सारणी 3.6** में दिया गया है।

सारणी 3.6: वैयक्तिक जमा खातों की स्थिति

प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष 2013–14 में खोले गये खातों की संख्या		वर्ष 2013–14 में बंद किये गये खातों की संख्या		अन्तिम अवशेष	
खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)
1,502	2,311.31	शून्य	3,099.19	08	शून्य	1,494[4]	5,410.50

(स्रोतः वित्त लेखे 2013–14)

पुनः, राज्य के 77 कोषागारों में से 47 ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किया है कि वर्ष 2013–14 के दौरान, उनके द्वारा रखरखाव किये गये 867 व्यक्तिगत निक्षेप खातों का मिलान किया गया है। शेष 30 कोषागारों के मिलान की स्थिति संबंधित कोषागारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी।

3.9 दिये गए अनुदान/ऋण के विवरण का अप्रस्तुतीकरण

लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 में यह प्रावधानित है कि सरकार एवं सहायक अनुदान स्वीकृत करने वाले विभागाध्यक्षों द्वारा ऐसी संस्थाओं/संगठनों, जिन्हें विगत

[4] राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1494 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में से 816 परिचालित और 678 अपरिचालित हैं। अपरिचालित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को बन्द कराने सम्बन्धी प्रक्रिया की जा रही है।

वित्तीय वर्ष में ₹ 10.00 लाख या अधिक की वित्तीय सहायता दी गयी थी, अनुदान की राशि प्रदर्शित करते हुए, जिस उद्देश्य हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया था एवं संस्थाओं/संगठनों के कुल व्यय का एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनकी पहचान की जा सके जिनकी लेखापरीक्षा, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अधीन सम्पन्न की जाती है। यद्यपि, इस प्रकार का कोई विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया।

3.10 निष्कर्ष

उपभोग प्रमाण–पत्रों एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत न किया जाना

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत तक उपभोग प्रमाण–पत्र एवं सार आकस्मिक बिल के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक बिल लम्बित थे।

चोरी एवं दुर्विनियोग के प्रकरण

- प्रचुर मात्रा में चोरी, दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरण या तो वसूली अथवा अपलेखन के अभाव में लम्बित थे, जिनमें ₹ 891.23 लाख की धनराशि सन्निहित थी।